1.6

प्रपत्र -30

Form -I

(For Other Than linear project)
Government of Uttarakhand
Office of Districe Colector Bageshwar

Dated 24/8/16

No..............................

....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of ministry of environment & forest (MoEF) , Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initated & completed the process of settlement of rights under schedule Tribe & Other traditional forest Dwellers (Recognition of forest right) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted non- forest purpose. It is certified that Hect. Of forest land proposed to be diverted to favor of Ravi Kumar(Ex. En. ESWC-UPCL) for 33/11KV line from bageshwar substation to 33/11KV line kapkot substation(purpose for diversion of forest land) in bageshwar District falls with in jurisdiction of Khabdoli Village in Bageshwar Tehsil.

It is further certified that-

(a) The complete process for identification & settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.9hectares** of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultations & meetings of forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) , Sub – Division Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3

(b) The proposal for such diversion for 33/11KV line from bageshwar substation to 33/11KV line kapkot substation(With Full Detail of the project and the implementation in vernacular/Local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest dewellers who are eligible under the FRA.

(c) The each of concern Gram Sabha(s) has certified that all formalities/processes under the FRA has been carried out and that day have given their consent to be the proposed division and compensation and ameliorative measures ,if any , having understood the purpose and detail to be processed division. A copy of certificate issued by the Gram sabha of Khabdoli Village is enclosed as annexure-30 to annexure-30-1

(d) His discussion and decision on such proposal had taken place only. When there was a quantum of maximum 50% of the member of Gram sabha Present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the govt. as required under Sec.-3(2) of the FRA have been completed. And the Gram Sabha have Given their consent to it.

(f) The rights of primitive tribal group and Pre- Agricultural communities , where applicable have been specially safe guarded as per section-3(1)(e) of the FRA – not applicable.

Encl – As above

Dated 24/8/16

(Bhopal Singh Manral)
District Collector
Bageshwar
(Full name & official seal of district Collector)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र -३०. ३

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य।

<u>जिलाधकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र</u>

जनपद बागेश्वर के अंतर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन (परियोजना) के निर्माण हेतु ०.९ हे० वन भूमि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटिड (प्रयोक्ता एजेंसी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति [redacted] तथा सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गए है | वन अधिकारी अधिनियम २००६ के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है | परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लंबित नहीं है |

दिनांक 23|8|16

)

जिलाधिकारी बागेश्वर जिलाधिकारी

बागेश्वर

मुहर

नोट - उक्त प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा |

1.6

प्रपत्र -३०. २

जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम २००६ के तहत प्रस्ताव

1- जिलाधिकारी बागेश्वर	अध्यक्ष
2- प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3- जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 23/8/16 को जिलास्तरीय वनाधिकारी समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय , बागेश्वर की अध्यक्षता में आहत की गयी | उत्तराखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति गरुण के प्रमाण पत्र दिनांक 23/8/16 द्वारा 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन के लिए 0.1 हे० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत क्या गया | उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन के लिए वनभूमि प्रत्यावर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ |

जिलास्तरीय वनाधिकारी समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति गरुण के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया | वनभूमि के स्वरुप को परिवर्तन कर 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन के लिए १.५०२ हे० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन के लिए 0.1 हे० भूमि को उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटिड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति दी गयी | वन अधिकारी अधिनियम २००६ के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है | परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लंबित नहीं है |

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

सदस्य
जिला पंचायत
क्षेत्र–मण्डलसेरा (बागेश्वर)

सदस्य
जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली
जनपद–बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

सदस्य
जिला पंचायत-कठायतबाड़ा
जनपद-बागेश्वर

1.6

प्रपत्र -३०

परियोजना का नाम - 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति – बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अंतर्गत 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन निर्माण हेतु (0.18हे० आरक्षित वनभूमि 0.12 हे०, सिविल सीएम वन भूमि 0.6हे०, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल हे वन 0.9 भूमि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटिड (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम २००६ के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति , तहसील बागेश्वर की दिनांक 12/7/16 को संपन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण |

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम २००६ एवं २००८ के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उत्तराखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी | बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है |

1-	[illegible]	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	[illegible]	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	[illegible]	सहायक समाजकल्याण अधिकारी	सदस्य
4-	तारा देवी	बी० डी० सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी | माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन (परियोजना) के निर्माण हेतु हे० भूमि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटिड (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखस गया | ग्राम सभा के अंतर्गत वनाधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है | भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंषा की गयी है |

सम्बंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम २००६ एवं तत्सम्बन्धी नियम २ के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अधिनियम २००६ के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दवा नहीं / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है |

इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है |

अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अंतर्गत 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन के निर्माण कार्य हेतु ....0.9...... हे० वन भूमि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटिड (प्रयोक्ता एजेंसी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किए जाने पर सहमित व्यक्त की गई |

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति

तहसील - बागेश्वर

जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु |

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति

तहसील - बागेश्वर

जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र -३०

परियोजना का नाम -जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य |

वन अधिकारी अधिनियम ,२००६ के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....भतरौला

तहसील ~~गरुड़~~ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.18... हे ० अनारक्षित वन भूमि , 0.12... हे० सिविल सोयम भूमि / .0.60. हे० पंचायत वन भूमि अर्थात कुल ......0.9... हे० वन भूमि का उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटिड / संस्था के पक्ष में भारत सरकार द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया | उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भतरौला.... द्वारा दिनांक 7-7-16. को संपन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई | यह की वन अधिकारी अधिनियम २००६ के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं |उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है की उक्तवना भूमि में किसिस भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकार्यु का हनन नही हो रहा है |

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम भतरौला एवं तोक .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नही है |प्रमाणित किया जो सत्य और सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ......
ग्राम पंचायत ......
वि० ख० ~~गरुड़~~ (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत भतरौला
वि0ख0–बागेश्वर जिला–बागेश्वर

नोट यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त रपत्र में दिया जाए | उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा |

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

दिनांक - 7-7-16 को ग्राम सभा की संपन्न बैठक की उपस्थिति ।

ग्राम सभा - [illegible]

क्रम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	भानू प्रताप सिंह खेतवाल	Bhanu
2.	दिनेश सिंह गाड़िया	[illegible]
3.	नरेन्द्र सिंह भाकुनी	[illegible]
4.	पप्पू उर्फ चन्दसिंह खेतवाल	[illegible]
5.	राजेंद्र सिंह गड़िया	[illegible]
6.	हरीश सिंह खेतवाल	[illegible]
7.	जगदीश सिंह मतरोला	[illegible]
8.	कुंदन सिंह मतरोला	[illegible]
9.	भगत सिंह मतरोला	भगत सिंह
10.	सुरेन्द्र सिंह मतरोला	[illegible]

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

दिनांक - 7/7/16 को ग्राम सभा की संपन्न बैठक की उपस्थिति ।

ग्राम सभा - आरे बागेश्वर

क्रम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	दिनेश सिंह	[signature]
2.	नरेन्द्र भाकुनी	[signature]
3.	राजेन्द्र गड़िया	राजेन्द्र
4.	प्रताप भाकुनी	प्रतापसिंह
5.	सोबन सिंह अलमिया	Shoban Singh
6	भानु प्रताप खेतवाल	Bhanu

प्रपत्र -३०

परियोजना का नाम -जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य |

वन अधिकारी अधिनियम ,२००६ के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...आरे......

तहसील गरुण जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.18.. हे ० अनारक्षित वन भूमि ,0.12.. हे० सिविल सोयम भूमि / .0.60 हे० पंचायत वन भूमि अर्थात कुल ......0.9.. हे० वन भूमि का उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटिड / संस्था के पक्ष में भारत सरकार द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया | उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...आरे..... द्वारा दिनांक .... को संपन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई | यह की वन अधिकारी अधिनियम २००६ के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं |उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है की उक्तवना भूमि में किसिस भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकार्यु का हनन नहीं हो रहा है |

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम ...आरे...... एवं तोक ...दारसों... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है |प्रमाणित किया जो सत्य और सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
वि० ख० गरुण (बागेश्वर)

ग्राम प्रधान

नोट यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त रपत्र में दिया जाए | उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा |